उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 52/2021/ 1395153/12-2099/117/2021
लखनऊ: दिनांक: 09 सितम्बर, 2021

<u>कार्यालय-आदेश</u>

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष ''2402-मृदा तथा जल संरक्षण-101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम'' में प्राविधानित धनराशि रू. 406.00 लाख के सापेक्ष माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2021 में (संलग्न विवरणानुसार) व्यय हेतु रू. 215.41 लाख (दो करोड़ पन्द्रह लाख इकतालिस हजार रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा।

(5) विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से धनराशि व्यय करने का प्राधिकार नहीं मिलता है, जब तक कि अन्य शर्तें पूर्ण न हो।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।

(7) यह वित्तीय स्वीकृति आय-व्ययक प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है।

(8) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य के लिए पूर्व में राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, और, न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा, किसी प्रकार की द्विरावृत्ति हो रही है।

(9) सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाएगी। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाए।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष ''2402-मृदा तथा जल संरक्षण-101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम'' के नामें डाला जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक: यथोक्त विवरण।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 52 /2021/ 1395153/12-2099/117/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: शो0 एवं मृ0सर्वे0/284/जै0 क0-लेखा/2021-22 दिनॉक 01 सितम्बर, 2021 के संदर्भ में,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्यालय-आदेश संख्या: 52/2021/1395153/12-2099/117/2021 दिनॉक 09 सितम्बर, 2021 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

मानक मद	प्राविधानित धनराशि	माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2021 में व्यय की जाने वाली धनराशि
02-मजदूरी	31.00	10.52
27-सब्सिडी	138.00	82.80
29-अनुरक्षण	10.00	6.00
42-अन्य व्यय	8.00	4.80
43-सामग्री सम्पूर्ति	200.00	99.89
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15.00	9.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4.00	2.40
योग:	406.00	215.41

(रूपये दो करोड़ पन्द्रह लाख इकतालिस हजार मात्र)

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in